Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JAN-FEB, 2021, VOL- 8/63

जननी सुरक्षा योजना : संरचना का अध्ययन एवं समाज कार्य हस्तक्षेप के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन

स्नेह लता यादव

शोध कर्त्री, समाज कार्य विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूँ, राजस्थान

Paper Received On: 15 FEB 2021
Peer Reviewed On: 22 FEB 2021
Published On: 1 MAR 2021

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति हमेशा से ही एक गंभीर विशय है सरकार की भूमिका इस दिशा में स्वतंत्रता पूर्व काल में उनके दायित्वों के अनुरुप नहीं रही हैं। स्वतंत्रता के उपरान्त स्वास्थ सेवाओं की दिशा में पर्यात प्रगति हुई। राश्ट्र अर्थव्यवस्था के उत्पादन कार्यों में महिलाएं 80 प्रतिशत तक योगादान करती है। चूंकि महिला की सबसें बड़ी अयोग्यता उसकी अस्वस्थता ही है और उसके कंधों पर न केवल आज की अर्थव्यवस्था के विकास का दायित्व है वरन् भावी अर्थव्यवस्था किस स्वास्थ पीढ़ी के कंधो पर टिकी होगी, यह भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अतः महिलाओं के स्वास्थ पर अत्यधिक ध्यान देने की आव यकता है। किंतु भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार से संबन्धित गंभीर प्रयास भी पक्षपातपूर्ण सामाजिक रीति–रिवाजों तथा सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में हल किए जाते रहे है।

ग्रामीण क्षेंत्रो में माताओं की मृत्यु दर भारत में पूरे विश्व की तुलना में अधिकतम है। पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जिन्दा जन्मों की दर 19 प्रतिशत है और माताओं की मृत्यु दर 27 प्रतिशत है।'' इस बात पर आम सहमति है कि महिला जनसंख्या में जो कमी है, उसका कारण ये है कि महिला मृत्यु दर एक और 5वर्श की आयु में अधिक है और माताओं की मृत्यु दर भी अधिक है। 1990 में ये अनुमान किया गया था कि भारत में छोटी लड़कियों की मृत्यु छोटे लड़कों की तुलना प्रति वर्श 3,00,000 से भी अधिक है और प्रत्येक छठे शिशु की मृत्यु का प्रमुख कारण लैंगिक भेदभाव है'' भारत में प्रति वर्श जन्म लेने वाली 15 मिलियन बच्चियों में से करीब 25 प्रति ात बच्चियाँ अपना 15वाँ जन्म दिन नहीं देख पातीं।

पूरे विश्व मे भारत में मौजूद ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं की मृत्यु दर सबसे अधिक पायी जाती है। इस मृत्यु दर का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ग्रामीण महिलायें गर्भधारण के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्राप्त करने के लिये अधिक इच्छुक नहीं रहती। इसे प्रायः अस्थायी अवस्था समझा जाता है जो कुछ समय बाद समाप्त हो जायेगी। पूरे देश के अनुमानों से ये पता चला है कि 40–50 प्रतिशत महिलाये ही बच्चों के जन्म के पुर्व स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर पाती है। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराश्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के प्रमाण ये साबित करते हैं कि माता और बच्चे के स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में किये जाने वाले पंजीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में 5–22 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 21–51 प्रति ात पाये जाते है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्युदर को कम करने के लिए भारत सरकार के राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) द्वारा चलाया जा रहा एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। राश्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत माता एवं शिशु की मृत्यु दर को घटाना प्रमुख लक्ष्य रहा हैं। इस मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कई नए कदम उठाये है जिसमें जननी सुरक्षा योजना भी शमिल है। इसकी वजह से संस्थागत प्रजनन में काफी वृद्धि हुई है और इसके तहत हर साल एक करोड़ से अधिक महिलाएं लाभ उठा रही हैं। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत संस्थागत प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिससे शिशु जन्म प्रशिक्षित दाई/नर्स/डाक्टरों द्वारा कराया जा सक तथा माता एवं नवजात शिशुओं को गर्भ से संबंधित जटिलताओं एवं मृत्यु से बचाया जा सके।

यह योजना, **12 वीं अप्रैल, 2005** में गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भारु की है, जो कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेश ध्यान देने के साथ सभी राज्यों और केंन्द्र शसित प्रदेंशों में लागू किया जा रहा है। जेएसवाई एक 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है और प्रसव और प्रसव उपरांत देखभाल के हेतु नकद सहायता करता है। इस योजना की सफलता के गरीब परिवारों की बीच संस्थागत प्रसव में वृद्धि दर के द्वारा निर्धारित किया जाता है।

जेएसवाई योजना का **उद्देश्य** गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब वे जन्म देने के लिए किसी अस्पताल में पंजीकरण कराते है, तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नकद सहायता दी जाती है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना के उद्दे य निम्नवत है–

1. गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना।
2. मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।

इस योजना के अन्तर्गत आशा सहयोगिनियों का चयन किया गया है, जो संस्थान एवं प्रसूता के बीच मध्यस्था का कार्य करेगी।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गर्भवती महिलओं के लिए मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर 'जननी सुरक्षा योजना' प्रारम्भ की गई है इस योजना का उददे्श्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहित करना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित इस योजना के उददे् य की प्राप्ति हेतु गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है। ग्रमीण क्षेत्र में 2000 (रुपया) जिसमें सें लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रुपया) 1400 इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए आशा को 600 रुपया प्रोत्साहन हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। तथा शहरी क्षेत्र में 1200 (रुपया) जिसमें सें लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि (रुपया) 1000 इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए आशा को 200 (रुपया) प्रोत्साहन हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। यह राशि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों यथा– उपकेन्द, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्रथम सन्दर्भ इकाई (एफ.आर.यू)/जिला एवं राज्य स्तरीय चिकित्सालय एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों यथा–रेलवे चिकित्सालय,पुलिस चिकित्सालय, ई० एस० आई० चिकित्सालय आदि के जनरल वार्ड में प्रसव कराने पर प्रदान की जायेगी।

अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जननी सुरक्षा योजना की संरचना तथा क्रियात्मकता का अध्ययन एवं समाज कार्य हस्तक्षेप के द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन है। अध्ययन अन्य विशिश्ट उद्दे य निम्नलिखित है–

- योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा का अध्ययन करना।
- अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कार्यक्रम में सुधार हेतु समाधान समाज कार्य हस्तक्षेप द्वारा प्रस्तुत करना।

समाज कार्य हस्तक्षेप :–

समाज कार्य हस्तक्षेप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज कार्यकर्ता या शोधकर्ता समाज कार्य की विधियों, पद्धतियों एवं सिद्धान्तों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है या समाधान करता है।

समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानव सम्बन्धों की निपुणता पर आधारित है। जिसमें कार्यकर्ता अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता के माध्यम से व्यक्ति की सहायता वैयक्ति, सामूहिक और सामुदायिक स्तर पर करता है जिससे व्यक्ति सामाजिक व वैयक्तिक संतुश्टि एवं स्वंतत्रता प्राप्त कर सकें।

समाज कार्य केवल एक समस्या अभिविन्यस्त या व्यक्ति केन्द्रित कियाकलाप नही है। समाज कार्य उन मौलिक या आधारभूत दशाओं के प्रति भी जागरुक है जो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की समस्याओं का मूल कारण बनती है। समाज कार्य विज्ञानी नवीन–नवीन विमाओं के विशय में चिंतन

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

करके अपना दृश्टिकोण सामने रखकर उन सामाजिक दशाओं में परिवर्तन लाने पर बल देते है जो समाज की समस्याओं का मूल कारण है।

उदाहरण के लिए पर्लमैन ने व्यक्तिगत व अन्तः वैयक्तिक समस्याओं से पीड़ित सेवार्थियों की सहायता के लिए समाज कार्य में एक समस्या–समाधान उपागम का विकसित किया व समाज कार्यकर्ता सम्बन्धित परिस्थितियों, संसाधनों, कार्यक्रमों एवं नीतियों से विशेशीकृत ज्ञान का प्रयोग विभिन्न मुददों से सम्बन्धित समस्याओं का मूल कारण है।

समाज कार्य के अन्तर्गत समाज कार्य हस्तक्षेप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक कल्याण हेतु व निश्चित उद्दे यों की पूर्ति हेतु प्रभावशाली रुप से अग्रसर होता है।

शोध कार्य की आवश्यकता एवं महत्व :–

भारत में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वन केन्द सरकार द्वारा किया जाता है। परन्तु वहा योजना कितनी लाभकारी हो रही है इसका निर्णय उस योजना के मूल्यांकन द्वारा ही किया जा सकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोशण हेतु कियान्वित योजनाओं का लाभ महिलाओं को कहां तक मिल रहा है, योजना कहा तक अपने उददे् य की प्रप्ति कर पाने में सफल रही है तथा कैसे उन कमियां को दूर किया जा सकता है।

जननी सुरक्षा योजना, 2005 से की गई थी इस योजना के उददे् य प्रप्ति के लिए समय –समय पर कई परिवर्तन किये गये है। तबभी योजना को ले कर कई गडबड़ी देखने को मिलती है लाभर्थी व आशा को धनराशि न मिलना, संस्था द्वारा सही व्यवस्था न होना, अन्य कारण इस प्रकार सरकार द्वारा योजना बनाने व कियान्वित करने के भी समस्या का समाप्त करना कठिन हो जाता है। योजना के कियान्वन में व्याप्त समस्या के निराकारण, समस्या के कारणों का पाता लागाने हेतु, कमियों को दूर करने हेतु सुक्षाव प्रदान करने हेतु प्रस्तुत अध्ययन में योजना की संरचना व कियान्वन का अध्ययन किया जायेगा।

शोध विधि तंत्र (Research Methodology):-

आकंडों के स्रोतः–

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथामिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के आकंडों का उपयोग किया जाएगा।

अध्ययन के सयंत्रः–

सयंत्रो के रुप में इस अध्ययन में निम्नलिखित का प्रयोग किया जाएगा।

1. योजना से संबन्धित प्राप्त आकडों को प्राप्त करने हेतु रिकार्ड प्रोफार्मा(अभिलेखप्रारुप)
2. कर्मचारियों, लाभर्थियों तथा सुमदाय के गणमान्य व्यक्तियों के लिए पूर्व–परिक्षित प्र नावली

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

क्रिया योजना का निर्माणः–

अध्ययन से प्राप्त निश्कशों के आधार पर समाजकार्य हस्तक्षेप के माध्यम सें योजना की प्रभावपूर्णता में अभिवृद्धि करने हेतु निम्नलिखित क्रिया योजना का निर्माण किया जाएगा।

- योजना के विशय में जागरुकता को बढ़ाने हेतु शिविर, चर्चा की जायेगी।
- योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु संप्रेरणा गृह भ्रमण तथा समूह चर्चा द्वारा किया जाएगा।
- क्रिया योजना का मूल्यांकन भाोधकर्त्री के द्वारा सम्बन्धित संरचनाओं का संकलन एवं वि लेशण किया जाएगा।

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदश के आजमगढ़ जिले के 22 ब्लाकों में संचालित जननी सुरक्षा योजना का समग्र होगा।

प्रतिदर्श (Sampling) :-

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के 22 ब्लाकों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाले एक विकास खण्ड का चयन किया जाएगा तथा विकास खण्ड के तीन गावों (क्रमशः सबसे अधिक आबादी वाले) का अध्ययन मे सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक चयनित गांव के 50–50 लाभार्थी को अध्ययन की इकाई के रुप में सम्मलित किया जाएगा।

आंकड़ों के स्त्रोतः–

आंकड़ों के स्त्रोतों को प्रलेखीय एवं क्षेत्रीय स्त्रोतों में विभाजित किया जा सकता है। अध्ययन में भी उपर्युक्त दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत के अर्न्तगत अनुसंधानकर्ता ने उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के प्र नों को पूछकर माध्यम से तथ्यों को प्राप्त किया तथा द्वितीय स्त्रोतों के अर्न्तगत अनुसंधानकर्ता ने विभिन्न पुस्तकों एवं अधिनियमों तथा प्रलेखों आदि का सहारा लिया। यथेष्ट सामग्री को इस अध्ययन में सामाजिक एवं साहित्यिक रुप में सुसज्जित कर सन्निहित किया गया है।

आंकड़ों का संकलन यन्त्रः–

प्रस्तुत अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन मुख्य यन्त्र के रुप में उत्तरदाताओं से आवश्यक सूचनाओं को एकत्र करने हेतु प्रयुक्त किया गया। अभिलेखों से आंकड़ों को एकत्र करने हेतु एक निश्चित प्रारुप का प्रयोग किया गया है।

आकंड़ो की व्याख्या व वि लेशणः–

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री आकड़ों का सम्पादन, संकेतीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन का प्रयोग करके आकड़ों का विश्लेशण करेगी।

निश्कर्श :–

उत्तरदाताओं की आयु, लिंग, धर्म एवं जाति, शौक्षिक स्तर, एवं आर्थिक स्थिति आदि के बारे में सम्बन्धित तथ्यों की सूचनाओं का विश्लेशण करने पर प्राप्त निश्कर्श निम्नवत् हैं– अध्ययन में 82.67 प्रतिशत उत्तरदाता की आयु 21–30 वर्श समूह से हैं एवं 12.67 प्रतिशत उत्तरदाता की आयु 31–40 वर्श समूह से हैं तथा सबसे कम 4.66 प्रति ात की आयु 18–20 वर्श समूह से हैं।लगभग तीन–चौथाई 77.33 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं। मुस्लिम धर्म का अनुसरण करने वाले उत्तरदाताओं का प्रति ात 22.67 प्रतिशत एक चौथाई से थोडा ही अधिक हैं। हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के अनुयायी प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में नही पाये गये हैं। उत्तदाता 52.67 प्रतिशत पिछड़ी जाति के हैं उसके बाद 34.67 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं तथा सबसे कम 12.66 प्रति ात सामान्य जाति के हैं।

24.67 प्रतिशत उत्तरदाता की शैक्षिक योग्यता प्राइमरी तक ही हैं, 21.33 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक हैं एवं 16.67 प्रतिशत उत्तरदाता की शैक्षिक योग्यता जू0हाई स्कूल हैं, एवं 12.67 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं, 11.33 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक हैं तथा 10.67 प्रति ात उत्तरदाता की भौक्षिक योग्यता इण्टर हैं, तथा सबसे कम 02.66 प्रतिशत उत्तरदाता साक्षर हैं। 92.67 प्रतिशत गृहणी हैं, 04.66 प्रतिशत उत्तरदाता का व्यवसाय नौकरी हैं, तथा सबसे कम 02.67 प्रतिशत लाभार्थी का व्यवसाय स्वारोजगार हैं। 92.67 प्रति ात उत्तरदाता की कोई मासिक आय नही हैं, 02.67 प्रति ात उत्तरदाता की मासिक आय 10,000–15,000 है, 02.00 प्रतिशत उत्तरदाता की मासिक आय 1000–5000 हैं ,तथा कम 1.33 प्रतिशत उत्तरदाता की मासिक आय 1000 तथा 5000–10,000रु हैं। 58.00 प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार का स्वरुप सयुंक्त हैं तथा 42 प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार का स्वरुप एंकाकी हैं। शत प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार बी0पी0एल0 श्रेणी की सूची में आते हैं।

35.33 प्रतिशत उत्तरदाता के परिवार का मुख्य व्यवसाय मजदूरी हैं, 24.67 प्रति ात का मुख्य व्यवसाय कृशि मजदूरी हैं, 12.67 प्रति ात मुख्य व्यवसाय प्राइवेट नौकरी हैं, एवं 09.33 प्रतिशत का मुख्य व्यवसाय स्वरोजगार हैं, 06.67 प्रतिशत का मुख्य व्यवसाय कृशि हैं तथा 6 प्रतिशत का मुख्य व्यवसाय दुकानदारी एवं 5.33 प्रतिशत का मुख्य सरकारी नौकारी हैं। 37.33 प्रतिशत उत्तरदाता के पास 3–4 बीघा भूमि हैं, 20.67 प्रतिशत उत्तरदाता के पास 5–6 बीघा भूमि हैं, 12 प्रतिशत उत्तरदाता के पास 7–8 बीघा भूमि हैं, 11.33 प्रतिशत उत्तरदाता के पास 1 बीघा तथा उससे कम भूमि हैं, 10.67 प्रतिशत उत्तरदाता के पास 1–2 बीघा भूमि हैं तथा 08.00 प्रतिशत उत्तरदाता के पास भूमि नही हैं।

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

82.00 प्रतिशत उत्तरदाता के मकान का स्वरुप मिश्रित हैं, एवं 66.7 प्रतिशत उत्तरदाता के मकान का स्वरुप कच्चा हैं तथा सबसे कम 11.33 प्रतिशत का स्वरुप पक्का हैं।

अध्ययन में 82.66 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार योजना का उद्देश्य मां–बच्चे को पोश्टिक भोजन प्रदान करना एवं 44.66 प्रतिशत के अनुसार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना उद्देश्य है तथा 31. 33 प्रतिशत के अनुसार उद्देश्य सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं है। उत्तरदाता के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शत प्रतिशत के अनुसार 1400/ रुपये राशि प्रदान की जाती हैं। शत प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाती हैं। 52.67 प्रतिशत के उत्तरदाता अनुसार राशि प्रसव के एक महीने में प्राप्त हुई थी, एवं 31.33 प्रतिशत के अनुसार 15 दिन में तथा 16 प्रतिशत के अनुसार एक महीने के बाद प्राप्त हुई थी। 92.00 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार पता नही कि योजना से मातृ मृत्यु दर की स्थिति के बारे में जानकारी हैं तथा 8 प्रतिशत के अनुसार मातृ मृत्यु दर में कमी हुई हैं। 58.00 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार हाँ जननी सुरक्षा योजना द्वारा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिला हैं तथा 42 प्रतिशत के अनुसार उन्हे नही पता की प्रोत्साहन मिला हैं कि नही। 89.33 प्रतिशत उत्तरदाता के अनुसार जननी सुरक्षा योजना को आगे भी क्रियान्वित किया जाता चाहिए जबकि 10.67 प्रतिशत को नही पता की क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि नहीं।

समाज कार्य हस्तक्षेप के प चात् संख्यात्मक निश्कर्श

समाज कार्य हस्तक्षेप के पश्चात् लाभार्थियों में सरकारी योजना के बारे में जानकारी की स्थिति में बढोत्तरी हुई है जो कि पूर्व में 30.67 प्रतिशत थी से बढ़कर 88 प्रतिशत हो गयी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने में भी बढोत्तरी हुई जो केवल 42 प्रतिशत से बढ़कर 79.33 प्रतिशत हो गया। हस्तक्षेप के पश्चात् प्रसव पूर्व पंजीकरण की जानकारी 57.33 प्रतिशत से बढ़कर 91.33 प्रतिशत हो गया। पूर्व प्रसव के दौरान परीक्षण अनिवार्य होने की जानकारी में सुधार हुआ जिसका प्रतिशत पूर्व में केवल 68.67 प्रतिशत था समाज कार्य हस्तक्षेप के बाद 92.67 प्रतिशत हो गया। आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलिया नियमित रुप से खानी की जानकारी का पूर्व प्रतिशत जहां 64.67 प्रतिशत था वही वह अब शत प्रतिशत है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक द्वारा गर्भवस्था के दौरान सावधानी सम्बन्धी जानकारी में परिवर्तन हुआ जो पूर्व में 42 प्रति ात था अब 74.67 प्रतिशत हो गया। 58 प्रतिशत लाभार्थियों आयोडीन युक्त नमक के महत्व के बारें में जानकारी थी जो बढ़कर शत प्रतिशत हो गयी। प्रसव के दौरान स्वास्थ्य समस्या की जानकारी जो 42 प्रतिशत लाभार्थियों को थी समाज कार्य हस्तक्षेप से अब 84.67 प्रतिशत हो गयी। प्रसव के 48 घण्टे के अन्दर महिला की जाँच कराने की जानकारी पूर्व से केवल 44.67 प्रतिशत को थी समाज कार्य हस्तक्षेप के पश्चात् शत प्रतिशत देखने को मिला। नवजात

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शिशु का जन्म पर वजन किये जाने की जानकारी की स्थिति में परिवर्तन हुआ जा पूर्व में 38 प्रतिशत पश्चात् में 89.33 प्रतिशत हो गया।

समाज कार्य हस्तक्षेप के द्वारा लाभार्थियों के योजना के प्रति दृश्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिला लाभाथियों में जननी सुरक्षा योजना से मातृ मृत्यु दर में कमी की जानकारी जिसका पूर्व प्रतिशत केवल 8 प्रतिशत था बढाकर 74.67 प्रतिशत हुआ। जननी सुरक्षा योजना द्वारा संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन की स्थिति में परिर्वतन हुआ जो प्रतिशत पूर्व में 58 प्रतिशत था वह बढ़कर 88 प्रतिशत हो गया। जननी सुरक्षा योजना को आगे भी क्रियान्वित किये जाने की स्थिति में शत प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिल रहा।

योजना के बेहतर संचालन के लिए सुझाव :–

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुविधाओं को सुधारा जाए ताकि सरकारी चिकित्सालय को लोग महत्व दें।
- सरकारी चिकित्सालय में प्रसव हेतु पूर्ण सुविधा उपलब्ध करायी जाए– स्वच्छ कमरा, पर्याप्त बेंड, दवाईया, उपयोग में आने वाले उपकरण आदि की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए।
- योजना में प्रदान की जाने वाली राशि को निश्चित समय (संस्था में छुट्टी मिलतें ही) पर प्रदान करने की व्यस्था की चाहिए।
- योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने हेतु जागरुकता कार्यक्रम में बढावा किया जाए।
- जागरुकता कार्यक्रम के पश्चात् उच्च अधिकाारियों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि जागरुकता की स्थिति का ज्ञान हो सकें।
- योजना से सम्बन्धित कार्यकर्ता का समय–समय पर प्रशिक्षण आवश्य होना चाहिए।
- आशा कार्यकत्री का दिये जाने वाले प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता है क्योकि निश्कर्श से ज्ञात होता है कि उनकों ही योजनाओं के उद्दे य के प्रति पूर्ण ज्ञान नहीं हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूची

पुस्तके :

आहुजा राम (2010), सामाजिक समस्यायें, प्रेम रावत, पब्लिेशन जयपुर।
आहुजा राम (2010), सामाजिक अनुसंधान, प्रेम रावत, पब्लिेशन जयपुर ।
सूदन सिंह कृपाल (1990), समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, नव ज्योति सिमरन पब्लिके ान,लखनऊ।
कुमार. गिरीश (1996), समाजकार्य के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश हिन्दु संस्थान, ।
महाजन डॉ धर्मवीर, महाजन डॉ कमलेश (2007), सामाजिक अनुसन्धान की पद्धतियाँ, विवके प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, ।
द्विवेदी राकेश (2011), सामुदायिक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, न्यू रॉयल बुक कम्पनी प्रकाशन, लखनऊ।

websites

https://www.yojana.gov.in

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

https://www.up.nrhm.gov.in
https://www.jysgov.in
https://www.uprhm.gov.in
https://www.nhm.gov.in
https://www.azamgarh.nic.in

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies